न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 08 / 2023
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ।
प्रार्थी

बनाम

मनसा राम पुत्र श्री भागीरथ होटल दाना पानी जी आया नूँ हनुमानगढ़ – पीलीबंगा रोड़ जिला हनुमानगढ।
अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः –18.11.2024

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2023 को संजना जोशी जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ़–पीलीबंगा रोड पर स्थित होटल दाना पानी जी आया नूँ पर पेट्रोल–डीजल का अवैध भण्डारण एवं बेचान की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर मनसाराम की उपस्थिति में होटल परिसर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 20 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 60 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 7 प्लास्टिक ड्रम, 6 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प मय प्लास्टिक पाईप और 2 पेट्रोल–डीजल बिक्री हिसाब रजिस्टर मिले। मौके पर पाया गया सामान होटल में पेट्रोल–डीजल के विक्रय, कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर मालिक द्वारा उनके पास पेट्रोल–डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर पाये गये 20 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 60 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 7 प्लास्टिक ड्रम, 6 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प मय प्लास्टिक पाईप और 2 पेट्रोल–डीजल बिक्री हिसाब रजिस्टर के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 20 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 60 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 7 प्लास्टिक ड्रम, 6 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प मय प्लास्टिक पांईप और 2 पेट्रोल–डीजल बिक्री हिसाब रजिस्टर को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री सुनील कुमार पुत्र श्री अनंत कुमार उम्र 45 वर्ष जाति कुम्हार हाल उचित मूल्य दुकानदार चक जहाना की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री मनसा राम पुत्र श्री भागीरथ, होटल दाना पानी जी आया नूँ द्वारा मोटर स्प्रिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन किया गया है [illegible] आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6 [illegible] कर निवेदन किया कि उक्त 20 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक [illegible] मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 7 प्लास्टिक ड्रम, 6 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के नाप, 2 [illegible] हस्तचालित पम्प मय प्लास्टिक पाईप को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर अप्रार्थी को धारा [illegible] आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा [illegible] ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.29 18:37:25 IST
Reason: SelfAttested

30-

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निरस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 08.02.2023 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 23.10.2024 को नोटिस जारी होकर तामील हो चुके है, परन्तु दिनांक 13.11.2024 को अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 20 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 60 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 7 प्लास्टिक ड्रम, 6 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प मय प्लास्टिक पाईप और 2 पेट्रोल–डीजल बिक्रि हिसाब रजिस्टर के साथ जब्त किया गया है। जब्ती के समय कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये। लाईसेंस, परमिट के अभाव में जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल व अन्य सामान आदि अवैध भण्डारण एवं कारोबार है। अवैध पेट्रोल, डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय 2 पेट्रोल–डीजल बिक्री हिसाब रजिस्टर मिले है, जिससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा काफी समय से अवैध भण्डारण एवं कारोबार हो रहा है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण पेट्रोल, डीजल के विक्रय, कारोबार करने हेतु कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं। मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में अवैध भण्डारण एवं कारोबार का कृत्य, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा 20 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 60 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 7 प्लास्टिक ड्रम, 6 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के नाप, 2 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प मय प्लास्टिक पाईप और 2 पेट्रोल–डीजल बिक्री हिसाब रजिस्टर को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निरस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 08.02.2023 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/11/24

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.29 18:37:25 IST
Reason: SelfAttested